न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
45 / 2022	111,128 LRA	17.06.2022	05.07.2022

1. रामूराम पुत्र छोगमल जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 16 चूरू तहसील व जिला चूरू (राज)

–प्रार्थी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार चूरू

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता प्रार्थी श्री आनन्द बालाण

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कस्बा चूरू, तहसील व जिला चूरू का स्थाई निवासी है एवं प्रार्थी की कृषि भूमि कस्बा चूरू स्थित है जिसका खातेदारी खेत खसरा नम्बर 2186 / 265 तादादी 4.1860 हैक्टेयर है।

यह कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2186 / 265 तादादी 4.1860 हैक्टेयर का प्रार्थी ने दिनांक 17.08.2021 को भू–प्रबंध विभाग सीकर की टीम व तहसीलदार महोदय व हल्का पटवारी चूरू की टीम से पैमाईश करवाकर प्रार्थी की खातेदारी कब्जाशुदा भूमि की मौके पर निशान देही कराई गई।

प्रार्थी द्वारा अपनी उक्त कृषि भूमि की मात्र निशान देही की मांग की गई इसलिए भू–प्रबन्धक विभाग सीकर की टीम व चूरू के राजस्व कर्मचारी व अधिकारियों ने मात्र उक्त खसरा नम्बर की निशान देही की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:05:48 IST
Reason: SelfAttested

खसरा नम्बर 2186 / 265 की कृषि ... के पड़ौसी खातेदारों द्वारा कृषि भूमि की मिट्टी आदि को हटाने ... खातेदार अपनी कृषि भूमि को समतल करने से जो निशान देही राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई थी वह निशान देही अस्पष्ट व नष्ट हो गई ।

प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार एवं निशान देही आधार पर पुख्ता सीमांकन करने पर प्रार्थी के खातेदारी खेत के पड़ौसी प्रार्थी से झगड़ा करने पर आतुर हो जाते हैं

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

और विवाद व खून खराबा होने की सम्भावना हो जाती है इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि न्यायालय से राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मौके पर भू–प्रबन्धक अधिकारियों द्वारा की गई सीमाज्ञान के आधार एवं मौके पर नाप करवाकर पत्थरगढी कर सीमांकन स्पष्ट करवाना चाहता है ताकि प्रर्थी के साथ किसी से भी विवाद न हो एवं प्रार्थी शान्तिपूर्वक अपने खेत को काश्त कर सके।

हल्का पटवारी एवं भू–प्रबन्धक अधिकारियों से निशान देही के आधार पर पत्थरगढी का निवेदन किया तो उन्होने कहा कि हम मौके पर निशान देही कर सकते हैं। जब तक सक्षम न्यायालय का आदेश पत्थरगढी के लिए नही हो जाता तब तक वह कानूनन पत्थर गढी नहीं कर सकते इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है।

प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि को जो राजस्व अभिलेख भू–प्रबन्धक अधिकारियों की निशान देही के अनुसार मौके पर पत्थरगढी करवाकर शान्तिपूर्वक काश्त करना चाहता है। ताकि भविष्य में नीव सींव को लेकर प्रार्थी का भी किसी के साथ विवाद ना हो।

तहसीलदार चूरू भूमीधारक अधिकारी होने के कारण एवं सभी प्रक्रिया श्रीमान् तहसीलदार को करनी है इसलिए तहसीलदार पक्षकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की कस्बा चूरू में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2186/265 की तादादी 4.1860 हैक्टेयर की पत्थरगढी राजस्व रिकॉर्ड एवं भू–प्रबन्धक अधिकारी के निशान देही के अनुसार अनुभवी पटवारी व गिरदावर एवं भू–प्रबन्धक सीकर की टीम मय पुलिस इमदाद के राजस्व कर्मचारियों की मौजूदगी में प्रार्थी के खर्चे से करवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया जिसके विशेष कथन में अंकित किया कि प्रार्थी के उक्त खसरे की निशान देही भू–प्रबन्धक विभाग, सीकर की टीम द्वारा दिनांक 17.08.2021 को राजस्व टीम की मौजूदगी में करवायी गयी थी। पुनः पुलिस विभाग द्वारा चाहे जाने पर दिनांक 18.05.2022 को भू– प्रबन्धक विभाग द्वारा राजस्व विभाग की टीम व पुलिस की मौजूदगी में सर्वे किया गया जो पूर्ण [illegible] भू–प्रबन्धक विभाग सीकर व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा पुलिस [illegible] में उक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2186/265 की पत्थर[illegible] नहीं होता है। जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी गई। [illegible] आवश्यक प्रकृति का होने से उभय पक्ष की बहस सुनने हेतु निवेदन किया । जिस [illegible] वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान एवं पुख्ता पत्थरगढी करवाना चाहता है जिस पर अप्रार्थी सं. 1 को कोई आपत्ति नहीं है व निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:05:48 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की कस्बा चूरू में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2186/265 की तादादी 4.1860 हैक्टेयर की पत्थरगढी राजस्व रिकॉर्ड एवं भू-प्रबन्धक अधिकारी के निशान देही के अनुसार अनुभवी पटवारी व गिरदावर एवं भू-प्रबन्धक विभाग सीकर की टीम मय पुलिस इमदाद के राजस्व कर्मचारियों की मौजूदगी में प्रार्थी के खर्चे से करवाये जाने के आदेश प्रदान करें। पैरोकार राज ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया जिसके विशेष कथन में अंकित किया कि प्रार्थी के उक्त खसरे की निशान देही भू-प्रबन्धक विभाग, सीकर की टीम द्वारा दिनांक 17.08.2021 को राजस्व टीम की मौजूदगी में करवायी गयी थी। पुनः पुलिस विभाग द्वारा चाहे जाने पर दिनांक 18.05.2022 को भू- प्रबन्धक विभाग द्वारा राजस्व विभाग की टीम व पुलिस की मौजूदगी में सर्वे किया गया जो पूर्ण नहीं हो सका था। इसलिए भू-प्रबन्धक विभाग सीकर व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा पुलिस की मौजूदगी में उक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2186/265 की पत्थरगढी की जाती है तो राजहित प्रभावित नहीं होता है।

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात व जवाब पैरोकार राज के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है उक्त कृषि भूमि का सीमा ज्ञान पूर्व में हुआ है जिसमें वर्तमान में विवाद की स्थिति है तथा कि जिसके स्थाई समाधान के लिए प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा अप्रार्थी सं. 1 को कोई आपत्ति नहीं है। वादगत कृषि भूमि प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी की कृषि भूमि है जिसका नियमानुसार प्रार्थी को सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का अधिकार है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य है।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिये जाते हैं कि रोही ग्राम चूरू तहसील चूरू के खसरा ख.नं. 2186/265 तादादी 4.1860 हैक्टेयर का अगर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित सीमाज्ञान शुल्क जमा करवा[illegible] एवं भू-अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में विधिवत सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2022.10.06 16:05:48 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 05.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू